प्रेस विज्ञप्ति

Press Release 28.02.2025

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करते हुए बीमा क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, आईआरडीएआई इसके द्वारा बीमाकर्ताओं को अपने ईक्वीटी संविभागों का बचाव (हेजिंग) करने हेतु ईक्विटी डेरिवेटिव्स का उपयोग करने के लिए अनुमित देते हुए व्यापक दिशानिर्देश जारी करता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य ईक्विटी बाजार में अस्थिरता के विरुद्ध अपने वर्तमान ईक्विटी एक्सपोज़रों का बचाव करने, ईक्विटी निवेशों के बाजार मूल्य के परिरक्षण को सुनिश्चित करने तथा इसके द्वारा ईक्विटी संविभाग में जोखिम कम करने के लिए बीमाकर्ताओं को सुविधा प्रदान करना है।

वर्तमान विनियामक ढाँचे के अंतर्गत, आईआरडीएआई बीमाकर्ताओं को वायदा दर करारों (एफआरएएस), ब्याज दर अदला-बदलियों और विनिमय व्यापारित ब्याज दर फ्यूचरों (आईआरएफएस) के रूप में रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स में व्यापार करने के लिए अनुमित देता है। नियत आय डेरिवेटिव्स के साथ ही, बीमाकर्ताओं को संरक्षण क्रेताओं के रूप में ऋण चूक अदला-बदलियों (सीडीएस) में लेनदेन करने के लिए भी अनुमित दी गई है।

चूँिक बीमाकर्ताओं के द्वारा ईिक्कटी बाजार में निवेशों में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति विद्यमान है, अतः तथा ईिक्कटी कीमतों में संबद्ध अस्थिरता के कारण, ईिक्कटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) की अनुमित देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बीमाकर्ताओं को जोखिम प्रबंध और संविभाग के विविधीकरण के लिए संविधित अवसर प्रदान करना है।

इन दिशानिर्देशों के अनुरूप, बीमाकर्ता ईक्विटियों में अपनी धारिता के आधार पर स्टाक और सूचकांक फ्यूचर्स और आप्शन्स में, एक्सपोज़र और स्थिति सीमाओं के अधीन बचावों की खरीद कर सकेंगे। ईक्विटी डेरिवेटिव्स का उपयोग केवल बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। ईक्विटी डेरिवेटिव्स में कोई भी काउंटर पर (ओटीसी) एक्सपोज़र निषद्ध है।

बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे ईिक्कटी डेरिवेटिव्स में एक्सपोज़र करने से पहले, बोर्ड द्वारा अनुमोदित बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) नीति; आंतरिक जोखिम प्रबंध नीतियाँ और प्रक्रियाएँ; सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना; तथा नियमित और आवधिक लेखा-परीक्षाएँ लागू करें। एक सुदृढ़ कंपनी अभिशासन व्यवस्था विद्यमान होगी जिसमें बोर्ड और विरष्ठ प्रबंध-तंत्र द्वारा समीक्षा की जाती है कि की गई संविदाएँ पालिसीधारकों के हितों के विपरीत नहीं होंगी।

बीमाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे तिमाही आधार पर प्राधिकरण को निर्धारित रिपोर्टें प्रस्तुत करें।

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) remains committed to fostering growth of the insurance sector while safeguarding policyholders' interests. In this direction, IRDAI hereby issues comprehensive guidelines permitting insurers to utilize equity derivatives to hedge their equity portfolios. This move aims to facilitate insurers to hedge their existing equity exposures against volatility in equity market and ensure preservation of market value of equity investments and thereby reducing risks in equity portfolio.

Under the current regulatory framework, IRDAI allows insurers to deal in Rupee Interest Rate Derivatives in the form of Forward Rate Agreements (FRAs), Interest Rate Swaps and Exchange Traded Interest Rate Futures (IRFs). Besides Fixed Income Derivatives, insurers are also permitted to deal in Credit Default Swaps (CDS) as Protection Buyers.

As there is an increasing trend in investments in equity market by insurers and owing to associated volatility in the equity prices, a need is felt to permit Hedging through Equity Derivatives. These guidelines aim to provide insurers with enhanced opportunities for risk management and portfolio diversification.

In line with these guidelines, insurers will be able to buy hedges in stock & index futures and options against their holding in equities subject to the exposure and position limits. The equity derivatives shall be used only for hedging purpose. Any Over The Counter (OTC) exposure to equity derivatives is prohibited.

Before taking exposure to equity derivatives, insurers are advised to put in place Board approved Hedging Policy; Internal Risk Management Policies and Processes; Information Technology Infrastructure; and Regular and Periodic Audits. A robust corporate governance mechanism shall be in place wherein the Board and Senior management reviews the contracts undertaken are not prejudicial to the interest of the policyholders.

Insurers are required to furnish prescribed reports to the Authority on quarterly basis.